Peerless Financial Products Distribution Ltd.

"Peerless Bhavan", 3 Esplanade East, 2nd Floor, Kolkata – 700 069

NOTICE

This is to bring to the Notice of the public that one office file containing original and photocopy documents pertaining to the office property situate at **Room No. 2**, CSC, ANAND VIHAR, RAILWAY BOARD COLONY, CHBS DELHI – 110092 was lost while commuting between office to Calcutta High Court on 24th day of June, 2022 and subsequently lodged General Diary at the Hare Street Police Station vide G.D.E. No. 2301 dated 30/06/2022.

That the said file, inter-alia, contained documents in original and photocopies which specifically includes –

1. Letter of Allotment in original; 2. Demand Notice in original; 3. Possession Letter in original.

Any person having claim, may come with proper identity to the undersigned within 7 days from the date of publication of this notification, else the same shall be treated as non-entertainable and we shall be entitled to apply for duplicate copies for the said documents from the competent Authority / Authorities.

Subhabrata Talukdar
Chief Risk Officer & Company Secretary

Date: 11th July 2022

परिशिष्ट IV
देखें नियम 8(1)
कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)

जब कि,

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार संदीप कुमार और बिया भारद्वाज को 29.03.2022 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. HHLDCP00386179 की राशि रू. 11,48,318.29 (रुपये ग्यारह लाख अड़तालीस हजार तीन सौ अठारह और उनतीस पैसे मात्र) और 25.03.2022 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आह्वान करते हुए अभिस्वना सूचना जारी की थी।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 12.07.2022 को संपत्ति पर सांकेतिक आधिपत्य कर लिया है।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू. 11,48,318.29 (रुपये ग्यारह लाख अड़तालीस हजार तीन सौ अठारह और उनतीस पैसे मात्र) 25.03.2022 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के आधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

पिछली दाहिने हाथ की ओर प्लॉट नंबर बी-8/1 पर निर्मित (छत के अधिकार के बिना) पहली मंजिल पर फ्लैट नं. एफएफ-8 (एल,आई.जी) जिसका कवर्ड क्षेत्र 38.08 वर्ग मीटर्स, डीडीएफ अंकुर विहार, लोनी, गाजियाबाद - 201102, उत्तर प्रदेश.

सही/-
दिनांक : 12.07.2022 प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : गाजियाबाद इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

परिशिष्ट IV
देखें नियम 8(1)
कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)

जब कि,

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार दिपक कुमार, पुनम देवी और ओमबीर को 31.01.2022 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. HLAPPAN00499754 की राशि रू. 10,52,547.46 (रुपये दस लाख बावन हजार पाँच सौ सैंतालीस और छियालीस पैसे मात्र) और 18.01.2021 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आह्वान करते हुए अभिस्वना सूचना जारी की थी।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 12.07.2022 को संपत्ति पर सांकेतिक आधिपत्य कर लिया है।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू. 10,52,547.46 (रुपये दस लाख बावन हजार पाँच सौ सैंतालीस और छियालीस पैसे मात्र)18.01.2021 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के आधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

दुकान नं. 7,8 भूमि के भाग और छत, जी.एफ वाका आबादी ओग शॉपिंग मॉल, गीता भवन चौक के पास, तहसिल और जिला सोनीपत, सोनीपत-131001, हरियाणा, निम्नानुसार परिबध्द है :-

पूर्व में : 18'0" दुकान नं. 9 पश्चिम में : 18'0" दुकान नं. 6
उत्तर में : 18'0" अन्य के दक्षिण पे : 18'0" सड़क

सही/-
दिनांक : 12.07.2022 प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : सोनीपत इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 09, कम्यूनिटी सेन्टर, वसंत लोक, वसंत विहार नई दिल्ली – 110057.
शाखा कार्यालय : 27, कम्यूनिटी सेन्टर, वसंत लोक, वसंत विहार नई दिल्ली – 110057.
HeroHousing Finance

सार्वजनिक सूचना(अचल संपत्ति के लिए नीलामी बिक्री)
[प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 9(1) के तहत]

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (प्रत्याभूत ऋणदाता) के पास बंधक रखी गई अचल संपत्ति की बिक्री के लिए सूचना

एतद् द्वारा जनता को सामान्य रूप से और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) या उनके कानूनी उत्तराधिकारियों/प्रतिनिधियों को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियों को प्रत्याभूत ऋणदाता के बंधक/प्रभारित किया गया है, जिसका कब्जा हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (प्रत्याभूत ऋणदाता) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **08–अगस्त, 2022 (नीलामी की दिनांक)** को **"जो है जहां है", "जो है जैसी है", "जो है वहां है"** और **"वहां जो कुछ भी है"** आधार पर नीचे उल्लेखित उधारकर्ताओं, सह–उधारकर्ताओं या गारंटरों से बकाया देय राशि की वसूली के लिए बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अर्नेस जमा राशि नीचे उल्लेखित है। **सार्वजनिक नीलामी में** भाग लेने के लिए ईएमडी के डिमांड ड्राफ्ट जुड़ित वाले सीलबंद लिफाफे को **07–अगस्त–2022** को या उससे पहले शाम **5 बजे** तक शाखा कार्यालय : बिल्डिंग नंबर 27, सामुदायिक केंद्र, वसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली 110057 पर हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

ऋण खाता संख्या	उधारकर्ता(ओं)/सह–उधारकर्ता(ओं)/गारंटर(रों)/कानूनी वारीस(रों)/कानूनी प्रतिनिधि के नाम	मांग सूचना दिनांक / दिनांक अनुसार राशि	बन्धक प्रकार (रचनात्मक/ भौतिक अंतर्गत)	आरक्षित मूल्य	अर्नेस राशि
HHFDELHOU18000000096	कमल अरोरा, उमा रानी	06/08/2021 रु. 16,35,421/- दि.15.07.2022 को	भौतिक कब्जा	रु. 12,60,000/-	रु. 1,26,000/-

संपत्ति का विवरण : ऊपरी भूतल (मूतल से भी ज्ञात), बिना छत अधिकारों, संपत्ति धारक सं. टी–105 के पीछे की ओर निर्मित, खसरा सं. 10, ग्राम–खिंदापुर, टी ब्लॉक, उत्तम नगर, नई दिल्ली–110059 संग बिक्री किलेख में वर्णित साझा सुविधाओं सहित (नापक क्षेत्र 40 वर्ग गज) सीमांकन प्रकार : उत्तर : सामने की इलाई/25 फुट चौड़ी सड़क, पूर्व : संपत्ति सं 104, दक्षिण : 10फुट चौड़ीगली, पश्चिम : प्लॉट सं 105 का शेष भाग

नियम और शर्तें :

(1) निर्धारित निविदा / बोली प्रपत्र और बिक्री के नियम और शर्तें शाखा कार्यालय : 27, सामुदायिक केंद्र, वसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली–110057 के पास उपलब्ध होगी। किसी भी कार्य दिवस पर पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 5:00 के बीच। (2) संपत्ति आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जायेगी। (3) बोली वृद्धि राशि: रु. 10,000/– (दस हजार मात्र) (4) संपत्ति की खरीद के लिए सभी बोली/निविदाएँ "हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड" के पक्ष में और दिल्ली में देय डिमांड ड्राफ्ट के साथ उपरोक्त वर्णित अर्नेस राशि के साथ जमा की जाएं। असफल निविदाकारों के डिमांड ड्राफ्ट वापस कर दिए जायेंगे। (5) उच्चतम बोलीकर्ता को संबंधित लॉट का खरीदार घोषित किया जायेगा, बशर्ते वह विधिक रूप से बोली लगाने के लिए योग्य हो और उसकी बोली राशि आरक्षित मूल्य से कम न हो। प्राधिकृत अधिकारी को अपने विवेक से उच्चतम बोली को अस्वीकार करने का अधिकार होगा जब उसे लगे कि पेशकश मूल्य स्पष्ट रूप से अपर्याप्त है। (6) **संपत्ति की निरीक्षण दिनांक 03 अगस्त, 2022 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 2.00 बजे तक पूर्व नियुक्ति के साथ किया जा सकेगा।** (7) खरीदार घोषित व्यक्ति को ऐसी घोषणा के तुरंत बाद क्रय राशि की 25% राशि जिसमें ईएमडी राशि शामिल होगी प्राधिकृत अधिकारी के पास 24 घंटे के अंदर जमा करनी होगी, वह राशि जमा न किए जाने की स्थिति में संपत्ति नई नीलामी/निजी ट्रीटी द्वारा बिक्री के लिए स्वी जाऐगी। (8) उपरोक्त अनुसार प्रारंभिक राशि जमा कर दिए जाने पर क्रय राशि की शेष राशि संपत्ति की बिक्री की पुष्टि होने की तारीख से 15 दिनों तक खरीदार द्वारा 'प्राधिकृत अधिकारी' को जमा करनी होगी, यदि 15वें दिन कोई रविवार या अन्य अवकाश होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम कार्य दिवस को जमा करनी होगी। (9) उपरोक्तानुसार भुगतान न होने पर संपत्ति नई नीलामी/निजी ट्रीटी द्वारा बिक्री के लिए स्वी जाऐगी। सभी जमा राशि हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पास जब्त हो जायेगी और चूककर्ता खरीदार संपत्ति पर अपने सभी दावे खो देगा (10) उपर्युक्त बिक्री हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधीन अनुमोदन के अधीन होगी। (11) हीरो हाउसिंग फाईनेंस लि. को ज्ञात ऋणभारों जिनके लिए संपत्ति देनदार है का विवरण–कोई नहीं दावे यदि कोई हो, जो संपत्ति पर लिए गए हैं और इसी प्रकार व मान का अन्य कोई ज्ञात विवरण: कुछ नहीं। (12) इच्छुक पक्षों से अनुरोध किया जाता है कि वे संबंधित विभागों / कार्यालयों से सांविधिक और अन्य बकाया जैसे बिजली / संपत्ति कर, वित्तुत देय राशियों और सोसायटी के मामले वे सत्यापित/ पुष्टि करें। वंचनी संपत्ति पर किसी भी बकाया के भुगतान की कोई जिम्मेदारी नहीं लेती है। (13) टीडीएस 1% यदि कोई हो, उच्चतम घोषित बोली राशि पर उच्चतम बोलीदाता द्वारा देय होगा। भुगतान को कंपनी के पैन में उच्चतम बोलीदाता द्वारा जमा करने की आवश्यकता होती है और भुगतान की प्रति कंपनी को प्रस्तुत की जाएगी। (14) बिक्री सख्ती से इस विज्ञापन में शामिल नियमों और शर्तों और निर्धारित निविदा प्रपत्र के अधीन होगी। (15) सफल बोलीदाता / क्रेता को कानून के अनुसार लागू बिक्री प्रमाण पत्र पंजिकृत कराने के लिए सभी स्टाम्प शुल्क/ पंजीकरण शुल्क और आकस्मिक व्यय वहन करना होगा। (16) प्राधिकृत अधिकारी को बोली को स्वीकार करने या अस्वीकार करने को स्थगित करने/रद्द करने का पूर्ण अधिकार है, बिना कोई कारण बताए और बिना किसी पूर्व सूचना के इस बिक्री के किसी भी नियम और शर्तों को संशोधित करने का भी अधिकार होगा। (17) **इच्छुक बोलीदाता कार्यालीन समय के दौरान (पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 6:00 बजे के बीच) मोबाईल सं. 9971808985 पर श्री राज मिश्रा से संपर्क कर सकते हैं।**

उधारकर्ता / गारंटर / बंधककर्ता को 30 दिनों की बिक्री सूचना

उपर्युक्त उधारकर्ता /बंधककर्ता /गारंटरों का धारा 13(2) के तहत मांग सूचना में वर्णित राशि का नीलामी की दिनांक से पहले आज दिनांक तक ब्याज और अन्य व्ययों के साथ भुगतान करने के लिए सूचित किया जाता है, जिसमें विफल होने पर संपत्ति कि नीलामी की जाएगी और शेष देय राशि , सहित कोई हो, तो आपसे ब्याज और लागत के साथ वसूल की जाएगी।

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया दिए गए लिंक
https:uat.herohomefinance.in/ hero_housing/other-notice
पे हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (प्रत्याभूत ऋणदाता) की वेबसाइट पर यानी **www.herohousingfinance.com** को देखें।

दिनांक: 16 जुलाई, 2022 प्रति हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
स्थान : दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी
सुश्री मनीषा मिश्रा, मो– 9892172608

कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड

सीआईएन L65110MH1985PLC038137, 27वीं मंजिल, बी-10, पं. 1-2, लोकल शॉपिंग सेंटर डी ब्लॉक, सायन सिंहल, नई दिल्ली-110053

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रवर्तन तथा प्रतिभूतिकरण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफैसी अधिनियम) के तहत मैसर्स के.जे. इंटरनेशनल लिमिटेड के खाते में श्री राज कुमार अरोड़ा तथा श्री अरुण कुमार अरोड़ा की अचल आस्ति की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

जैसा कि, कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड ("केएमबीएल") ने मैसर्स के.जे. इंटरनेशनल लिमिटेड (इसके पश्चात "कर्जदार" सन्दर्भित) को कुछ ऋण सुविधाएँ स्वीकृत की थीं।

जैसा कि, कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड ("केएमबीएल") के अधिकृत प्राधिकारी ने सरफैसी अधिनियम की धारा 13(2) के प्रावधानों के तहत नोटिस जारी की थी और कर्जदारों तथा जमानतियों अर्थात मैसर्स के.जे. इंटरनेशनल एवं अन्य से वर्णित सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर उसमें उल्लिखित राशियों का भुगतान करने को कहा था। वर्णित मांग का अनुपालन नहीं किया गया। मांग की गयी के भुगतान में विफल रहने के कारण, अधिकृत प्राधिकारी ने सरफैसी अधिनियम तथा उसमें अधिनियमित नियमों के प्रावधानों के अनुपालन में नीचे उल्लिखित सम्पत्तियों पर कब्जा कर लिया। सरफैसी अधिनियम की धारा 13(4) तथा उसके साथ पठित नियमों के तहत प्रदत शक्तियों के उपयोग में वर्णित सम्पत्ति की ई-नीलामी द्वारा बिक्री का निर्णय लिया गया है।

एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार तथा जमानतियों को सूचना दी जाती है कि 31 मार्च, 2019 तक राशि रु. 16,23,46,10,751.00 तथा 1 अप्रैल, 2019 से वसूली तक तिमाही दर से 20% वार्षिक ब्याज एवं समस्त आकस्मिक लागतों तथा व्ययों की वसूली के लिए नीचे वर्णित सम्पत्ति की बिक्री ई-नीलामी द्वारा 9 अगस्त, 2022 को "जहाँ है जैसे है", "जो है वही है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है" आधार पर संचालित की जायेगी। नीलामी/बोली केवल मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (ऑक्शन टाइगर) के वेबसाइट/पोर्टल के माध्यम से https://kotakbank.auctiontiger.net पर "ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम" से की जायेगी। ईएमडी राशि एनईएफटी/आरटीजीएस/चेक/डीडी के माध्यम से केएमबीएल के ई-नीलामी खाते में मुम्बई में अर्थात कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड, मलाड (पूर्व), मुम्बई, आईएफएससी कोड सं. KKBK0000646 की शाखा में "कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड खाता ई-नीलामी", खाता सं. 8411307138 में देय है। ईएमडी राशि के बिना जमा कोई संविदा स्वतः निरस्त हो जायेगी। विधिवत भरे एवं हस्ताक्षरित नियम एवं शर्तों की प्रतियाँ दिनांक 16 जुलाई, 2022, पैन/आधार कार्ड एवं पता तथा आईडी प्रमाण ऑनलाइन प्रस्ताव के साथ अपलोड करने होंगे और ईएमडी जमा करने का विवरण वेबसाइट/पोर्टल https://kotakbank.auctiontiger.net पर है।

लॉट सं.	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	ईएमडी	ऋण भार
I	ग्राम देवली, तहसील महरौली के राजस्व सम्पदा में स्थित खसरा क्रमांक 13/4, मिन (0–15), 13/7 मिन (0–9) सहित 1 बीघा और 4 बिस्वा भूमि वाले प्लॉट नं. सी., नई दिल्ली, स्वामित्व श्री अरुण कुमार अरोड़ा और प्लॉट नंबर डी, माप 1 बीघा और 4 बिस्वा, खसरा नं. 13/3, मिन (0–10), मिन (0–6), 13/8(0–8), गांव देवली, तहसील महरौली, नई दिल्ली की राजस्व संपदि में स्थित, स्वामित्व श्री राज कुमार अरोड़ा, साथ ही उस पर निर्माण (मकान नंबर एफ–201, लेन डब्ल्यू–ए/6, वेस्टर्न एवेन्यू, सैनिक फार्म्स नई दिल्ली)	रु. 9,83,00,000	रु. 98,30,000	ज्ञात नहीं

साइट का निरीक्षण : साइट का निरीक्षण बैंक अधिकारी से पूर्व अनुमति लेकर सोमवार से शुक्रवार तक सभी कार्यकारी दिनांकों में 10 बजे पूर्वा. से 4 बजे अप. के बीच उपलब्ध है।

ईएमडी जमा करने तथा संविदा दस्तावेज अपलोड करने की अन्तिम तिथि : 5 अगस्त, 2022 को 4 बजे अप. तक https://kotakbank.auctiontiger.net पर।

ई-नीलामी की तिथि तथा समय : 9 अगस्त, 2022 को 11 बजे प्रातः से 12.00 बजे अप. तक। यदि संविदा ई-नीलामी के अन्तिम 5 मिनटों में की जाती है तो नीलामी का अन्तिम समय प्रत्येक बार 5 मिनट बढ़ जायेगा।

संविदा वृद्धि राशि : रु. 5,00,000/- (रुपये पाँच लाख मात्र) अथवा उसके गुणक में।

कोई बकाया सफल संविदाकार/संभावित क्रेता(ओं) द्वारा सूचित्रित किया जाना तथा उसे अदा करना होगा क्योंकि यह बिक्री "जहाँ है जैसे है", "जो है वही है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है" आधार पर की जा रही है। यहाँ ऊपर निर्दिष्ट प्रतिभूत आस्तियों के परिप्रेक्ष्य में विवरणों को अधोहस्ताक्षरी की सर्वोत्तम सूचना में प्रकट किया गया है, किन्तु वे वर्णित विवरणों की किसी त्रुटि, गलतबयानी और विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। इसलिए संविदाकारों/सम्भावित क्रेता(ओं) से निवेदन है कि वे अपने हित में संविदाएं जमा करने से पूर्व उपर्युक्त तथा सम्पत्ति/सम्पत्तियों से सम्बन्धित अन्य प्रासंगिक विवरणों के विषय में स्वयं को सन्तुष्ट कर लें।

सफल संविदाकार को ईएमडी राशि घटाकर अन्तिम क्रय राशि का 25% आरटीजीएस/एनईएफटी/चेक/डीडी के माध्यम से उपर्युक्त विवरण के अनुसार केएमबीएल के ई-नीलामी खाते में अगले कार्यदिवस तक जमा करना होगा। अन्तिम क्रय राशि का शेष 75% उपर्युक्त के अनुसार उसी ई-नीलामी खाते में बिक्री की तिथि से 15 दिनों के भीतर आरटीजीएस/एनईएफटी/चेक/डीडी के माध्यम से जमा करना होगा। असफल संविदाकारों की ईएमडी संविदा/निविदा प्रपत्र में उन संविदाकारों द्वारा उल्लिखित केवल उसी खाता संख्या में 3 कार्यकारी दिवसों के भीतर जमा कर दी जायेगी।

बिक्री के नियम एवं शर्तें वेबसाइट/पोर्टल https://kotakbank.auctiontiger.net अथवा https://www.kotak.com/en/bank-auctions.html पर उपलब्ध हैं।

किसी सहायता, प्रक्रिया के किसी विवरण एवं नीलामी प्रक्रिया से सम्बन्धित ऑनलाइन प्रशिक्षण के सम्बन्ध में कृपया सम्पर्क करें : मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड–ऑक्शन टाइगर, बी-704, ब्रात स्ट्रीट-II, सामने ओरिएण्ट क्लब, निकट गुजरात कॉलेज, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद-380006 गुजरात (भारत), सम्पर्क नं. : 079-68136880/68136837 मोबाइल नं. : +91 9265562821/18 ई-मेल : support@auctiontiger.net तथा श्री राम शर्मा -8000023297; सम्पत्ति से सम्बन्धित किसी ऋण विवरण के लिए कृपया श्री विकास भारद्वाज-9873570366 से सम्पर्क करें।

महत्वपूर्ण नियम एवं शर्तें :

1. नीलामी बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए संविदाकार को पोर्टल https://kotakbank.auctiontiger.net अथवा https://www.kotak.com/en/bank-auctions.html देखने का परामर्श दिया जाता है तथा वर्णित नियम एवं शर्तें उन संविदाकारों के लिए बाध्यकारी होंगे जो संविदा प्रक्रिया में भाग लेंगे। साथ ही ध्यान दें कि संविदा पोर्टल https://kotakbank.auctiontiger.net पर ऑनलाइन दर्शित की जायी है। इच्छुक संविदाकारों को ई-नीलामी में भाग लेने के लिए ऑनलाइन माध्यम से अपनी संविदाएं जमा करने हेतु वेबसाइट https://kotakbank.auctiontiger.net देखने का भी परामर्श दिया जाता है।
2. सम्भावित संविदाकार उपर्युक्त सम्पर्क नम्बरों पर ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज (ऑक्शन टाइगर) से ऑनलाइन प्रशिक्षण ले सकते हैं।
3. जमा की गयी संविदा राशि आरक्षित मूल्य के बराबर तथा/अथवा अधिक होनी चाहिए और संविदा प्रक्रिया के दौरान, संविदाकार रु. 5 लाख मात्र के गुणक में अपने प्रस्ताव बढ़ायेंगे।
4. उपर्युक्त के अनुसार निर्धारित समय के भीतर सम्पूर्ण बिक्री राशि की प्राप्ति पर, अधिकृत प्राधिकारी विक्रय प्रमाणपत्र जारी करेंगे और उसके पश्चात विक्रय प्रक्रिया पूरी हो जायेगी तथा प्रतिभूत लेनदार किसी दावे पर विचार नहीं करेंगे।
5. अधिकृत प्राधिकारी को किसी को बिना कोई कारण बताए बिना किसी पूर्व सूचना के स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा बिक्री को आस्थगित/निरस्त करने/बिक्री के नियमों एवं शर्तों में कोई संशोधन करने का पूर्ण अधिकार होगा।
6. पंजीकरण प्रभारों, स्टैम्प शुल्क तथा करों आदि सहित सभी प्रभारों/बकायों का वहन केवल क्रेता को करना होगा।

यह कर्जदार/जमानतियों के लिए सूचना भी है कि यदि ई-नीलामी की तिथि से बकाये पूर्ण रूप से अदा नहीं किये जाते हैं तो नीलामी की कार्यवाही आगे बढ़ेगी। यह ध्यान दें कि अंग्रेजी तथा हिन्दी में प्रकाशित नीलामी सूचनाओं में कोई विसंगति/असंगत उत्पन्न होती है तो अंग्रेजी में प्रकाशित सूचना की सामग्री को वरीयता दी जायेगी।

स्थान : नई दिल्ली कृते कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड
तिथि : 16.07.2022 अधिकृत प्राधिकारी

ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ़ इण्डिया लिमिटेड

(नि.प.सं.एल 29222 डीएल 1976 पीएलसी 008129)
पंजीकृत कार्यालय : कोर-2, पहली मंजिल, "स्कोप मीनार", प्लॉट नं.2ए व 2बी, लक्ष्मी नगर जिला केन्द्र, दिल्ली-110 091.
प्रधान कार्यालय : "निकर्षण सदन", एच.बी.कॉलनी मेन रोड, सीतम्मधारा, विशाखपट्टणम-530 022.
दूरभाष : 0891-2523250, फैक्स : 0891-2560581, वेबसाइट : www.dredge-india.com

स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति हेतु डाक मतपत्र की सूचना

इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 110 और धारा 108 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, और साथ ही कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 (किसी भी वैधानिक संशोधन (संशोधनों) या उसके पुनः अधिनियमन सहित, जो कुछ समय के लिए लागू है) (नियम), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अनिवार्यताओं और प्रकटन की अपेक्षाओं संबंधी सूचीकरण) विनियम, 2015 (सेबी एलओडीआर विनियम/सूचीकरण विनियम) के विनियम 44, भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान (एसएस-2) द्वारा जारी किए गए सामान्य बैठकों संबंधी सचिवीय मानकों, यथा-संशोधित, के अनुसरण में तथा कार्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा, सामान्य बैठकों के आयोजन/ई-वोटिंग द्वारा डाक मतपत्र प्रक्रिया को लागू करने के संबंध में, जारी किए गए सामान्य परिपत्र स.14/2020, दिनांकित अप्रैल 8, 2020, स.17/2020, दिनांकित अप्रैल 13, 2020, स.22/2020, दिनांकित जून 15, 2020, स. 33/2020, दिनांकित सितम्बर 28, 2020, स. 39/2020, दिनांकित दिसंबर 31, 2020, स. 02/2021, दिनांकित जनवरी 13, 2021, स. 10/2021, दिनांकित जून 23, 2021, स. 20/2021, दिनांकित दिसंबर 08, 2021, स. 02/2022, दिनांकित मई 5, 2022 (एमसीए परिपत्रों) के अनुसार, एवं कोविड-19 महामारी को दृष्टि में रखते हुए, ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (कम्पनी) के सदस्यों की सहमति प्राप्त करने का प्रस्ताव किया जाता है कि वे केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से रीमोट वोटिंग द्वारा डाक मतपत्र के माध्यम (पोस्टल बैलेट नोटिस) से ही विशेष संकल्प (संकल्पों) को पारित कर, इसके नीचे निर्धारित व्यापारिक लेन-देन करें।

2. इस पोस्टल बैलेट नोटिस में उल्लिखित प्रस्तावों से संबंधित सभी वस्तुगत तथ्यों को निर्धारित करने वाले नियमों के साथ-साथ अधिनियम की धारा 102(1) और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है।
3. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न खतरे के कारण और उक्त एमसीए परिपत्रों में निर्धारित अपेक्षाओं के संदर्भ में, कंपनी यह सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपने उपने उन सभी सदस्यों को भेज रही है, जिन्होंने अपने ई-मेल पते को इस कंपनी, उनके पंजीयक व अंतरण अभिकर्ता या जमाकर्ता/जमाकर्ता भागीदार के यहाँ पंजीकृत किया है और सदस्यों की सहमति/असहमति की जानकारी केवल रिमोट ई-वोटिंग पणाली के माध्यम से ली जाएगी। यदि आपका ई-मेल पता कंपनी/जमाकर्ता के यहाँ पंजीकृत नहीं है, तो कृपया इस लिंक का अनुसरण कर इसे पंजीकृत करें : https://ris.kfintech.com/clientservices/postalballot/ और आवश्यकतानुसार विवरण दर्ज करें।
4. आगे एमसीए परिपत्रों के अनुसार, पोस्टल बैलेट फॉर्म और प्रीपेड बिजनेस रिप्लाई लिफाफा के साथ इस सूचना की एक भौतिक प्रति सदस्यों को इस पोस्टल बैलेट के लिए नहीं भेजी जाएगी। तदनुसार यह पोस्टल बैलेट एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में शुरू किया जा रहा है।
5. इस कम्पनी के निदेशक मण्डल ने दिनांक 30 मई, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में सूचित किया है कि सेबी (एलओडीआर) के अनुसार निदेशक की नियुक्ति की तारीख से तीन महीने के भीतर बोर्ड द्वारा निदेशकों की नियुक्ति को शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाना है। तीन स्वतंत्र निदेशकों-श्री अनिंदो मजुमदार, श्री विनोद कुमार पिपरसेनिया, श्री रजत सचड़ की नियुक्ति मई 2022 में की गई और एक निदेशक-श्री अरूण कुमार गुप्ता की नियुक्ति जुलाई, 2022 में की गई। चूँकि इन तिथियों से तीन महीनों के अंदर अगली सामान्य बैठक निर्धारित नहीं है, इसलिए कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार पोस्टल बैलट द्वारा शेयरधारियों का अनुमोदन माँगा जाएगा।
6. निदेशक मंडल ने ई-वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संवीक्षा करने के लिए सर्वश्री अग्रवाल एस एंड एसोसिएट्स, पेशेवर कंपनी सचिव के श्री सचिन अग्रवाल को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।
7. इस कंपनी ने रीमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए अभिकरण के रूप में सर्वश्री केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (जिसे पहले केफिन टेकनोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) की सेवाएं ली हैं। एमसीए परिवत्रों के अनुसार, सदस्य केवल रीमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से ही मतदान कर सकते हैं। तदनुसार ही, इस कंपनी ने अपने सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट देने के लिए रीमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान की है। सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस पोस्टल बैलेट नोटिस की टिप्पणियों में दिए गए अनुदेशों को पढ़ें ताकि इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट विचार किए जाने के लिए पात्र होने हेतु भारतीय मानक समय दिनांक 19.08.2022 (इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट देने का अंतिम दिन) की शाम 5:00 बजे के बाद नहीं दे सके।
8. रीमोट ई-वोटिंग सुविधा गुरूवार, 21 जुलाई, 2022 को पूर्वाहन 9:00 बजे से प्रारंभ होगी और शुक्रवार, 19 अगस्त 2022 को शाम 5